अयातुल्ला अली खामेनेई सुपुर्द-ए-खाक

नम आंखों से करोड़ों ने दी विदाई, यूएस-ईरान तनाव के बीच सड़कों पर उमड़ा भारी जनसैलाब

● तेहरान/ राज न्यूज नेटवर्क

ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा के दौरान इराक के पवित्र शहर कर्बला में भारी भीड़ उमड़ी। सड़कें लोगों से पूरी तरह भर गईं। हजारों-लाखों लोग सुबह से ही अंतिम यात्रा के रास्ते और धार्मिक स्थलों के आसपास पहुंच गए थे। कई लोग तो एक दिन पहले ही कर्बला पहुंच गए थे ताकि उन्हें अच्छी जगह मिल सके। करोड़ों लोगों ने प्रिय नेता को नम आंखों से विदाई दी।

खामेनेई का ताबूत इराक के दूसरे पवित्र शहर नजफ ले जाया गया। वहां इमाम अली की दरगाह पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। लोगों ने ताबूत को कंधों पर उठाया। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि ताबूत कई बार इधर-उधर झूलने लगा। कई लोग उसे छूने की कोशिश कर रहे थे, जिससे धक्का-मुक्की भी हुई। हजारों शोकाकुल लोग ईरानी झंडे, दिवंगत नेता की तस्वीरें लहराते हुए अंतिम यात्रा में शामिल हुए।

ईरान के झंडे के साथ दिखे लोग

गुरुवार सुबह अली खामेनेई और उनके परिवार के चार अन्य सदस्यों के ताबूत इराक से विमान के जरिए मशहद लाए गए। इसके बाद ताबूत को सड़क के रास्ते नजफ से कर्बला लाया गया। जैसे ही ताबूत शहर पहुंचा। बड़ी संख्या में लोग उसके साथ चलने लगे। लोग ईरान के झंडे लहरा रहे थे और खामेनेई की तस्वीरें हाथ में लिए हुए थे। पूरे रास्ते धार्मिक नारे लगाए गए और लाउडस्पीकरों से भी लगातार घोषणाएं होती रहीं। भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों के लिए जगह-जगह पानी का छिड़काव किया गया। खाने-पीने के स्टॉल भी लगाए गए ताकि दूर-दूर से आए लोगों को कोई परेशानी न हो।

ट्रम्प को मारो लिखे पोस्टर दिखे

मशहद की सड़कों पर काले कपड़े पहने हजारों लोग खामेनेई की तस्वीरें और लाल बैनर लेकर पहुंचे। कई प्रदर्शनकारियों ने यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाए। शहर में हमें उठ खड़ा होना होगा, ट्रम्प को मारो जैसे सरकारी संदेशों वाले बैनर भी लगाए गए। खामेनेई को इमाम रजा की दरगाह परिसर में बने मकबरे में दफनाया गया। खामेनेई का जन्म भी मशहद में हुआ था और उन्होंने शुरुआती धार्मिक शिक्षा यहीं प्राप्त की थी।

पीओके के संगठन जाक ने मुजफ्फराबाद तक बड़े विरोध मार्च की घोषणा की

पीओके से पाक को अल्टीमेटम, 38 मांगें न मानने पर होगा बड़ा प्रदर्शन

● इस्लामाबाद / राज न्यूज नेटवर्क

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीआके) तनाव सतत बढ़ रहा है। जम्मू-कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी (जाक) ने पाक सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। जाक ने पाक सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उसकी 38 मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो उन्हें भारी विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ेगा। अभी मुद्दा 27 जुलाई को होने वाले क्षेत्रीय चुनाव हैं।

9 जून से नामांकन शुरू होने के साथ, जाक ने मुजफ्फराबाद तक एक बड़े विरोध मार्च की घोषणा की है, जो इस बात का संकेत है कि यह हाल के सालों में इस इलाके में देखी गई सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाइयों में से एक हो सकती है। पीओके में जारी विरोध प्रदर्शनों के केंद्र में पाक में बसे कश्मीरी रिफ्यूजियों के लिए रिजर्व 12 विधानसभा सीटों को खत्म करने की मांग रखी गई है। जाक का तर्क है कि ये सीटें इस्लामाबाद को पीओके की राजनीति पर बहुत ज्यादा असर बनाए रखने की इजाजत देती हैं।

इस विवाद में एक और बात जोड़ते हुए, पीआके सुप्रीम कोर्ट ने 7 जून को फैसला सुनाया कि 12 रिजर्व सीटें संवैधानिक रूप से सुरक्षित हैं और इन्हें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता, इसके बजाय संवैधानिक बदलाव की जरूरत है। 12 रिजर्व सीटों को खत्म करने की मांग के अलावा, ग्रुप ने हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स पर पूरी तरह से फिर से बातचीत करने, बढ़ती महंगाई को कम करने की मांग रखी है। जाक ने आटे जैसी जरूरी चीजों पर ज्यादा सब्सिडी देने और बिजली के टैरिफ कम करने की मांग की है। बिजली की कीमत कम करने को लेकर तर्क दिया गया है कि लोगों को अपने ही इलाके में पैदा होने वाली बिजली के ज्यादा दाम नहीं देने चाहिए।

बलूचिस्तान में हमलों के पीछे भारत का हाथ

इस्लामाबाद, आरएनएन। पाक पीएम शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में हुए हमलों के पीछे भारत का हाथ बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पाक का पूर्वी पड़ोसी बलूचिस्तान में सक्रिय विद्रोहियों को हथियार और पैसे दे रहा है। पिछले कुछ दिनों में बलूचिस्तान में कई बड़े हमले हुए हैं, जिनमें 38 से ज्यादा पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। पाक सेना और अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरा देश इस समय पाक सेना और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ खड़ा है और दिन-रात अल्लाह से दुआ कर रहा है कि इन कुर्बानियों का जल्द से जल्द फल मिले और आतंकवाद का खात्मा हो। इसमें कोई शक नहीं कि इस साल की अशांति में हमारे पूर्वी पड़ोसी का बड़ा हाथ है, हर तरह से। वे इन आतंकवादियों और उनके संगठनों को पैसा और हथियार मुहैया करा रहे हैं।

केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे को जमानत

हैदराबाद, (आरएनएन)। तेलंगाना हाई कोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे बंदी भागीरथ को पॉक्सो मामले में सशर्त बेल दे दी है।

हाई कोर्ट ने पोक्सो केसमें बंदी भागीरथ को रेगुलर बेल दे दी है। इसके लिए उन्हें 1 लाख रुपये और दो जमानतदार देने होंगे, साथ ही कुछ अन्य शर्तें भी पूरी करनी होंगी।

कोर्ट ने आरोपी को निर्देश दिया कि वह गवाहों को प्रभावित न करे और न ही जांच में कोई दखल दे।

पॉक्सो मामले में है आरोपी

बंदी भागीरथ अभी चेर्लापल्ली सेंट्रल जेल में बंद हैं, कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब उसे रिहा किया जाएगा।

बंदी भागीरथ के खिलाफ पेट बशीरबाद पुलिस थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इससे पहले तेलंगाना हाईकोर्ट ने 15 मई की रात को बंदी भागीरथ को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था।

CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED

कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत एवं वाणिज्यिक कार्यालय :- 502, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013
मंडल कार्यालय :- 9-बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, राजेन्द्र पैलेस, नई दिल्ली-110060

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट IV (अचल संपत्ति के लिए)

जहां कहीं, सिक्यूरीटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेन्सियल एस्सेट्स एवं इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंट्रस्ट एक्ट 2002 के साथ सपठित सिक्यूरिटी इंट्रस्ट (इंफोर्समेंट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता ने कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी तौर पर उपरोक्त सूचना की प्राप्ति से 60 दिवस के अंदर सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने हेतु ऋणकर्ताओं/प्रतिभूतिकर्ताओं को माँग पत्र (त्रों) जारी किया था । ऋणकर्ता(गण)/प्रतिभूतिकर्ता(गण) राशि का पुर्नभुगतान करने में असफल रहे है ,इस सूचना द्वारा ऋणकर्ता(गण)/प्रतिभूतिकर्ता(गण) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में यह सूचना दी जाती है कि सिक्यूरिटी इंट्रेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम 2002 के नियम 8 के साथ उपरोक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिग्रहण कर लिया है । ऋणकर्ता का ध्यान उपलब्ध समयसीमा में सुरक्षित संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने हेतु अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) की ओर दिलाया जाता है। ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार ना करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार सीजीसीएल की राशि एवं उस पर देय ब्याज के शुल्क के विषयांतर्गत होगा ।

क्र. सं.	ऋणकर्ता(ओं) / प्रतिभूतिकर्ताओं का नाम	सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	अधिग्रहण की तिथि
1.	(लोन अकाउंट नंबर LNMEAAR000125233 (पुराना) 80300005493990 (नया) हमारी आगर मालवा ब्रांच का) लक्ष्मीनारायण शर्मा (उधारकर्ता) श्रीमती लाडकुंवर बाई पत्नी लक्ष्मीनारायण, श्री संतोष पुत्र लक्ष्मीनारायण (सह-उधारकर्ता)	भूमि और भवन का वह सारा भाग, प्रॉपर्टी ग्राम पंचायत हाउस नंबर 58 है, गांव पारसोली पी.एच. नं. 09 तहसील माकड़ोन, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश-456550, एरिया- 1650 वर्ग फुट, सीमायें निम्नानुसारः पूर्व कॉमन रोड, पश्चिम श्री देवजी शुक्ला की जमीन, उत्तर श्री शिवनारायण का घर, दक्षिण श्री भरत शर्मा का घर	15-04-2026 रु. 22,53,004/-	07.07.2026

स्थान : उज्जैन
दिनांक : 10.07.2026

हस्ता/- (प्राधिकृत अधिकारी)
कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) के लिए

GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME DEPARTMENT (PORTS & TRANSPORT)

MAHARASHTRA MARITIME BOARD

Indian Mercantile Chambers, 2nd Floor. Ramjibhai Kamani Marg. Ballard Estate, Mumbai-400 001. Tel.: 022-69041777 Fax: 022-69041740
Website: https://mahammb.maharashtra.gov.in
Email: ceo.mmb@maharashtra.gov.in/ceommb@gmail.com

Expression of Interest (EoI) Notice

Maharashtra Maritime Board (MMB), on behalf of National Shipbuilding & Heavy Industries Park Maharashtra Limited (NSHIPML), invites Expression of Interest (EoI) from eligible Applicants for the Identification and Onboarding of Anchor Shipyard(s) for the development of the Greenfield Shipbuilding Industrial Cluster at Dighi, Dist. Raigad, Maharashtra.
The detailed EoI document can be viewed and downloaded from the Government of Maharashtra e-Tendering Portal (https://mahatenders.gov.in) from 08/07/2026 at 18:15 Hrs (IST). The last date and time for submission of EoI responses is 30/07/2026 at 12:00 Hrs (IST).
Interested Applicants meeting the eligibility criteria prescribed in the EoI document may submit their proposals through the Maharashtra e-Tendering Portal within the stipulated time.
MMB/NSHIPML reserves the right to accept or reject any or all EoI responses, or to annul the EoI process at any stage, without assigning any reason whatsoever.

(Capt. Praveen Khara)
Chief Ports Officer.
Maharashtra Maritime Board, Mumbai.

Date: 08.07.2026
Place: Mumbai
D.G.I.P.R. 2026/2027/C-1610

चीनः फैक्ट्री में आग, 28 की मौत

● बीजिंग / राज न्यूज नेटवर्क

चीन के जिनजियांग शहर में गुरुवार को दोपहर करीब 12 बजे जूतों की फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 28 लोगों की मौत हो गई। घटना के वीडियो में इमारत और उसके आसपास की आग की लपटें उठती हुई दिख रही हैं। आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय ने बचाव और राहत कार्यों के लिए संयुक्त कार्य दल जिनजियांग शहर भेजे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अफसरों को तलाश और बचाव अभियानों में हरसंभव प्रयास करने के निर्देश दिया है।

रोबोटैक्सी के अंदर हुड़दंग मचाना पड़ा भारी

कैलिफोर्निया, आरएएन। शहर में एक अनोखा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दो किशोरों ने बिना ड्राइवर वाली वेमो रोबोटैक्सी के भीतर हुड़दंग करने की कोशिश की। लेकिन गाड़ी का अपना दिमाग व सुरक्षा सिस्टम भी है। जैसे ही गाड़ी के भीतर नियमों का उल्लंघन हुआ, इस ऑटोनॉमस टैक्सी ने तुरंत अफसरों से संपर्क किया, खुद को एक सुरक्षित पार्किंग लॉट में खड़ा किया और तब तक वहां जमी रही जब तक कि पुलिस ने दोनों हुड़दंगियों को हिरासत में नहीं ले लिया। यह घटना अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है, जिसने सेल्फ-ड्राइविंग वाहनों के सेफ्टी सिस्टम और आपातकालीन स्थितियों में उनके ऑनबोर्ड कैमरों व माइक्रोफोन की उपयोगिता को साबित कर दिया है।

75 साल की उम्र में हॉलीवुड सिंगर टायलर का निधन

वाशिंगटन, (आरएनएन)। 1980 के दशक के सबसे लोकप्रिय गीत से मशहूर हुई सिंगर बोनी टायलर (75) का निधन हो गया है।

बोनी को उनकी दमदार और कर्कश आवाज के लिए जाना जाता था। उनके परिवार और टीम ने फेसबुक पोस्ट के जरिए उनके निधन की पुष्टि की है।

बोनी टायलर का पुर्तगाल के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां बीमारी के कारण बुधवार रात उनका निधन हो गया।

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल झाबुआ
E-mail ID :: dfotjhab@mp.gov.in P.- 07392-243316

क्रमांक/भण्डार/2026 / 2901 झाबुआ दिनांक 7/7/26

वन मण्डल झाबुआ अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में निर्माण कार्य एवं वानिकी कार्यों हेतु सामग्री तथा अन्य सामग्री कय करने बाबत विभिन्न फर्मो से ई-टेंडर पद्धत्ति के अंतर्गत ऑनलाइन निविदा www.mptenders.gov.in पर निम्नानुसार तिथि एवं समय अनुसार आमंत्रित की जाती है। समस्त शर्तें एवं अन्य जानकारी भण्डार शाखा से कार्यालयीन समय में अथवा ऑनलाइन पोर्टल www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है।

क्रमांक	सामग्री का विवरण	सामग्री की मात्रा	सत्यांकार निधि	निविदा दस्तावेजों का मूल्य
1	निर्माण कार्य एवं वानिकी कार्यों अंतर्गत लगने वाली सामग्री एवं अन्य सामग्री	आवश्यकता अनुसार	100000	1500

नोट - निविदा से संबंधित समस्त सामग्री की सूची एवं सामग्री का मापदण्ड "BOQ" में दर्शित है। (डाउनलोड कर देखी जा सकती है)

टीप -उपरोक्त मात्रा वर्ष 2026-27 में प्रस्तावित कार्यों के आधार पर अनुमानित है, जिसे आवश्यकता अनुसार घटाया बढाया जा सकता है।

Purchas of tender start data and time निविदा क्रय की प्रारंभिक तिथि	07/07/2026 Time 3.30 PM
Bid submission start date and time निविदा दर प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि	07/07/2026 Time 04.30PM
Bid submission closing date and time निविदा दर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	21/07/2026 Time 01.30 PM
Bid Opening date and time निविदा खोलने की तिथि एवं समय	22/07/2026 Time 01.30 PM

G-15436/26
स्वच्छता ही सेवा

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल झाबुआ

Bank of India
रिश्तों की जमापूंजी
Relationship beyond banking

आंचलिक कार्यालयः स्टार हाउस, प्लॉट 9-आरसी, स्कीम नं. 134, एम. आर. 10, स्टार चौराहे के पास, इन्दौर 452010, फोन 0731 2445122-117-147

अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

ई-नीलामी विक्रय सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन, हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

आल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना आम लोगों को और विशेष रुप से उधार लेने वाले/जमानतदारों को यह नोटिस दिया जाता है कि निम्न वर्णित सारणी के कॉलम 3 में उल्लिखित अचल संपत्ति जो **प्रतिभूत लेनदार (बैंक ऑफ इंडिया)** के पास गिरवी / प्रभारित है, जिसका सांकेतिक/भौतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **''जहां है ,जैसा है और जो कुछ भी है''** के आधार पर निम्नलिखित तालिका के कॉलम 2 में उल्लिखित ऋणी एवं जमानतदारों से बैंक ऑफ इंड़िया (प्रतिभूत लेनदार) की निम्नलिखित तालिका के कॉलम 4 में उल्लिखित राशि की वसूली हेतु **दिनांक 28.07.2026** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं जमा योग्य अग्रिम धनराशि तालिका के कॉलम 6 व 7 में क्रमशः दी गई है।

ई-नीलामी दिनांक 28.07.2026 को प्रातः 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक

शाखा का नाम (1)	ऋणी / जमानतदार का नाम (2)	संपत्ती का विवरण व स्वामी का नाम (3)	मांग सूचना 13(2) के तहत मांग नोटिस दिनांक व बकाया राशि (4)	आधिपत्य की दिनांक व प्रकार (5)	आरक्षित राशि (रू.) (6)	ईएमडी (7)
शाखा स्नेह नगर	श्री महेंद्र सोनी पिता श्री राधेश्याम सोनी (उधारकर्ता - बंधककर्ता) पता : फ्लेट नं. 204, शिवकिरण एवेन्यू, प्लॉट नं. 68, राम रहीम कॉलोनी, ग्राम- राउ, तहसील व जिला इंदौर (म.प्र.)	साम्यिक बंधक रहवासी संपत्ति फ्लेट नं. 204 शिवकिरण एवेन्यू, 68, राम रहीम कॉलोनी, - तहसील राउ एवं जिला इंदौर (म.प्र.) में स्थित, **संपत्ति मालिक : श्री महेंद्र सोनी पिता श्री राधेश्याम सोनी, क्षेत्रफल 687 वर्ग फीट, चतुर्सीमा : पूर्व** : फ्लेट नं. 201, **पश्चिम:** फ्लेट नं. 206, **उत्तर :** अन्य प्लॉट, **दक्षिण:** कॉमन पैसेज	27.12.2023 ₹10,86,350.00 + ब्याज एवं अन्य खर्च	17.05.2024 सांकेतिक 20.12.2024 भौतिक	₹ 9.70 लाख	₹ 0.97 लाख
शाखा बिजलपुर	मेसर्स अमित एंड संस, प्रोपराइटर श्री टुनटुन ठाकुर पता : फ्लेट नंबर 408 एलआईजी नालंदा परिसर, केशरबाग रोड, इंदौर म.प्र.	समस्त भू-भाग एवं अंश फ्लेट नंबर 408 एलआईजी नालंदा परिसर, केशरबाग रोड, इंदौर म.प्र., **संपत्ति मालिकः** श्री टुनटुन ठाकुर, **चतुर्सीमा: उत्तर:** मकान नंबर 410, **दक्षिण:** सड़क, **पूर्व:** सीढ़ियां, **पश्चिम:** मकान नंबर 401	30.10.2023 ₹ 18,72,957.48 + ब्याज एवं अन्य खर्च	27.03.2025 सांकेतिक	₹ 10.00 लाख	₹ 1.00 लाख
शाखा कंचनबाग	1. श्री विनोद तिलवे पिता कैलाशचंद्र तिलवे, 2. श्रीमती टीना तिलवे पति विनोद तिलवे (सह-ऋणी) आवासीय पता 1:- फ्लेट क्रमांक 305, तृतीय तल, मनी टावर, प्लॉट क्रमांक 3 व 4, भवानीपुर कॉलोनी, सेक्टर ए, तहसील व जिला इंदौर (म.प्र.), पता 2:- 278, डी सेक्टर, श्री रामकृष्ण बाग कॉलोनी, इंदौर (म.प्र.)	**साम्यिक बंधक संपत्तिः** फ्लैट क्रमांक 305, तृतीय तल, मनी टॉवर, प्लॉट क्रमांक 3 और 4, भवानीपुर कॉलोनी, सेक्टर ए, तहसील और जिला इंदौर, 810 वर्ग फीट (सुपर बिल्टअप) का क्षेत्रफल, **संपत्ति मालिकः** श्री विनोद तिलवे पिता कैलाश चंद्र तिलवे और श्रीमती टीना तिलवे पति विनोद तिलवे, **चतुर्सीमा:- पूर्व:** फ्लैट क्रमांक 306, **पश्चिम:** खुला स्थान, **उत्तर:** सामान्य मार्ग, **दक्षिण:** खुला स्थान	14.01.2025 ₹15,99,611.00 + ब्याज एवं अन्य खर्च	02.04.2025 सांकेतिक	₹ 16.77 लाख	₹ 1.68 लाख
शाखा : देवास नाका	श्रीमती राजकुमारी खुमान सिंह चौहान (मृतक) कानूनी उत्तराधिकारी : 1. श्रीमती विष्णुकांता राजपूत 2. श्री ओमप्रकाश राजपूत	रहवासी फ्लेट नं. एफ-708, टाइप-डी, पहली मंज़िल, 'राजीव आवास विहार', आईडीए स्कीम नं. 114, भाग 1, इंदौर; क्षेत्रफल 34.45 वर्ग मीटर, **संपत्ति मालिकः** श्रीमती राजकुमारी खुमान सिंह, **चतुर्सीमा :- पूर्व :-** फ्लेट नं. 710, **पश्चिम :-** खुला, **उत्तर :-** फ्लेट नं. 706, **दक्षिण :-** खुला	15.11.2025 ₹6,92,613.44 + ब्याज एवं अन्य खर्च	19.02.2026 सांकेतिक	₹ 8.40 लाख	₹ 0.84 लाख

क्रेता के द्वारा स्टाम्प शुल्क, बिक्री प्रमाण पत्र शुल्क, पंजीकरण शुल्क, टी.डी.एस. सरकार को देय सभी वैधानिक बकाया, कर और दरों और संपत्तियों से संबंधित कोई अन्य खर्च, मौजूदा और भविष्य, दोनों के लिए देय होगा। बिक्री प्रमाण पत्र केवल सफल बोलीदाता के नाम से ही जारी किया जाएगा।

ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाईट **https://baanknet.com** बोलीकर्ता **https://baanknet.com**, नियम व शर्तो की अधिक जानकारी हेतु शैक्षणिक वीडियो के साथ देख सकते है। बोलीकर्ता को पूर्व में ही बोली पंजीयन की सभी औपचारिकताएं पूर्ण करना अनिवार्य है। नीलामी से संबंधित सभी जानकारी ई-नीलामी दिनांक से पहले ही प्राप्त कर लेने की सभी जवाबदारी बोलीकर्ता की रहेगी।
ए. सफल बोलीकर्ता को घोषणा के तुरंत बाद बिक्री मूल्य का 25% (पहले से भुगतान की गई ईएमडी घटाकर) जमा करना होगा।
बी. नीलामी- बिक्री की कार्यवाही में बैंकिंग लेनदेन का समय समाप्त होने के पश्चात, खरीद मूल्य का 25% (पहले से भुगतान की गई ईएमडी घटाकर) अगले कार्य दिवस तक जमा कराना होगा।
सी. बिक्री मूल्य की शेष राशि का भुगतान बिक्री की दिनांक से 15 वें (पंद्रहवें) दिन के भीतर जमा किया जाना होगा।
डी. उपर उल्लिखित अवधि के भीतर भुगतान न करने पर, जमा और बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बेच दिया जाएगा।
इ. सफल बोलीकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी की आयकर अधिनियम की धारा **194-IA** के तहत लागू 1% की दर से टीडीएस जमा करना होगा, यदि इस तरह के प्रतिफल के लिए जमा या भुगतान की गई राशि का योग रु. 50 लाख या अधिक है। टीडीएस को फार्म **26QB** आनलाईन भरकर जमा कराना होगा और टीडीएस सर्टिफिकेट फार्म **16B** में जारी करना होगा। खरीदार को सरकारी खाते मे आयकर जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
एफ. बोली केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत की जाएगी।
जी. प्राधिकृत अधिकारी का उक्त ई-नीलामी को बिना किसी कारण बताए रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।
एच. आरक्षित मूल्य से कम से कम एक वृद्धि राशि जोडने पर ही बोली स्वीकार होगी।

दिनांक : 09.07.2026, स्थानः इन्दौर

प्राधिकृत अधिकारीः बैंक ऑफ इंडिया